निर्णय

श्री मो0 सुहैब मुजाहिद, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी एकता दल ने अपने पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2017 द्वारा यह सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में कौमी एकता दल के दो सदस्य श्री सिबगतुल्ला अंसारी एवं श्री मोख्तार अंसारी हैं। कौमी एकता दल का दिनांक 25 जनवरी, 2017 को बहुजन समाज पार्टी में विलय हो गया है। श्री मो0 सुहैब मुजाहिद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौमी एकता दल पार्टी के बहुजन समाज पार्टी में विलय से सहमत हैं। पत्र में यह अनुरोध किया गया है कि विधान सभा में श्री सिबगतुल्ला अंसारी एवं श्री मोख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रुप में अभिज्ञात किया जाय।

इस सम्बन्ध में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कु0 मायावती का पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2017 भी प्राप्त हुआ है जिसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कु0 मायावती द्वारा यह सूचित किया गया है कि कौमी एकता दल के बहुजन समाज पार्टी में विलय पर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अतः कौमी एकता दल के दोनों माननीय सदस्यों को उत्तर प्रदेश विधान सभा में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रुप में अभिज्ञात किया जाय।

श्री मो0 सुहैब मुजाहिद ने दिनांक 30 जनवरी, 2017 को उक्त विलय पर अपनी सहमति प्रकट की। इससे यह स्पष्ट है कि वे कौमी एकता दल के दो सदस्य, श्री सिबगतुल्ला अंसारी एवं श्री मोख्तार अंसारी के बहुजन समाज पार्टी में विलय हेतु सहमत हैं।

इस प्रकार ''भारत का संविधान'' की दसवीं अनुसूची का पैरा-4 जो दल परिवर्तन के आधार पर होने वाली निरर्हता का विलय पर लागू न होने के सम्बन्ध में है, में उल्लिखित शर्तो की पूर्ति हो जाती है।

अतः सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त मैं आदेश देता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में कौमी एकता दल का बहुजन समाज पार्टी में विलय हो जाने के परिणामस्वरुप उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री सिबगतुल्ला अंसारी एवं श्री मोख्तार अंसारी को बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रुप में मान्यता दी जाय।

दिनांक : 01 फरवरी, 2017

ह0 माता प्रसाद पाण्डेय,
अध्यक्ष,
विधान सभा
उत्तर प्रदेश।